

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा मुकाम : बांसवाड़ा(राज.)
वादी बनाम प्रतिवादी

~~श्री रामा पिता काशु~~ ~~श्री काशु पिता राममजी~~
~~वि - 22वडा~~

किस्म मुकदमा : 22, 209-R.J.M.C. प्रकरण संख्या 14/2012

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>20-3-12 - पत्रावली बाद जाँच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी श्री रामा पिता श्री काशु निवासी मदवाड़ा द्वारा एक वाद-पत्र अंतर्गत धारा 22, 209-R.J.M.C. के तहत प्रतिवादी श्री काशु पिता श्री राममजी निवासी कोटा के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 22-3-12 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">[Signature] उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा</p> <p>22-3-12 - पत्रावली पेश हुई। वादी के मुकाम बांसवाड़ा में पत्रावली अंतर्गत धारा 22, 209-R.J.M.C. के तहत प्रतिवादी काशु पिता राममजी के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी कर पत्रावली दिनांक 22-3-12 को पेश हो।</p> <p>23/4/12 पत्रावली पेश हुई वार के वामिल उपस्थित, एवं प्रतिवादी के वामिल भी उपस्थित. हस्ताविज प्राप्त नहीं होता हर्षाया हस्ताविज एवं वार पर की नकल खान सी खलबल करा कर पत्रावली वास्ते जजाल 21/5/12 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p>	

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

28/5/12

पत्रावली पेश हुई। अजिमाता
उक्त पत्र उप. भाषे। पत्रावली
की अवलोकन करने से जाहिर
है कि अधिवक्ता प्रतिवादी ने
अवगत अवकाश कि 2/4/21 में

प्रवादी भाष्य की हलु की दृष्टता
ही। इसके बाद ही अधिवक्ता वारी
ने 8 फरवरी बाद प्रार्थना-पत्र कोर्ट
2224 को पेश किया जिसमें प्रवा.
की हलु की तारीख का उल्लेख भी
नहीं है। अतः यह को अवरुद्ध किया
जावे।

हमने प्रार्थना-पत्र का अवलोकन
किया प्रार्थना-पत्र पर हलु की
दिनांक अंकित नहीं है साथ ही
प्रार्थना-पत्र के साथ आपथ-पत्र नहीं
जो कि रेवेन्यू कोर्ट में प्रकृत भाग-2
के अन्तर्गत आशापक है।

परिलीन अधि. की धारा-120
के तहत वारी / प्रतिवादी की मृत्यु
हो जाने पर उनके विधिक वारि-
खान को अफिलेज पर लेने हेतु
90 दिन का अवधान है। अतः
उक्त प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया
जावे। वरन् अवरुद्ध हो गया।

पुष्पेन्द्र अधिकारी
बालघाडा (राज.)

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

अतः 3 ता 3 ता 1 कद कादी क्वेरे
हो जाने से कारिज केषा जाता है।
पत्रवली केतल थुप्पर हो 1 म्वर
से कद की जाकर सफिल 5 म्वर हो
गिर्मप लिप्पा जाकर सरे इजलाल
मुतापा गप्पा।

उपखण्ड
बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)